

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग)
के अन्तर्गत गैर-सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स
पर प्रवेश, भौतिक सत्यापन व विद्यालयों की फीस
के पुनर्भरण के लिए दिशा-निर्देश
(सत्र 2019–20 से प्रभावी)

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पृष्ठभूमि	3
2	आरटीई अधिनियम के अनुसार निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश प्रक्रिया	4–8
3	भौतिक सत्यापन प्रक्रिया	9–13
4	पुनर्भरण प्रक्रिया	14
5	परिशिष्ट :— 1.आदेश / परिपत्रों का सारांश 2.एन्ट्री कक्षा के संबंध में राज्य सरकार का आदेश 3.प्रवेश के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप 4.प्रवेश हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र का प्रारूप 5.प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी उदाहरण 6.सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न	15 16 17–18 19 20 21

अध्याय—1 : पृष्ठभूमि

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीटें पर “दुर्बल वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” के बालक-बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है।

राज्य में इस प्रावधान के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012–13 से प्रवेश दिये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पात्र प्रवेशार्थियों की फीस का पुनर्भरण भी किया जा रहा है।

राज्य में लगभग 36,000 गैर सरकारी विद्यालय संचालित हैं। इन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को नियमानुसार सम्पन्न करवाना, समय पर पुनर्भरण करवाना एवं समस्त कार्य की मॉनिटरिंग करवाने का कार्य श्रमसाध्य है। इसको दृष्टिगत रखते हुये सत्र 2013–14 से राज्य सरकार ने यह सम्पूर्ण कार्य ऑन लाइन किये जाने का निर्णय लिया।

स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा NIC के सहयोग से वेब पोर्टल का निर्माण किया तथा सत्र 2013–14 से प्रवेश, भौतिक सत्यापन की मॉनिटरिंग व पुनर्भरण की प्रक्रिया को ऑन लाइन किया गया।

समस्त कार्यों को ऑन लाइन करने से अभिभावकों, विद्यालयों व शिक्षा विभाग के कार्यालयों का कार्यभार तो कम हुआ ही साथ ही समस्त व्यवस्थाओं में पारदर्शिता भी स्थापित हुई। वर्ष 2018–19 में निःशुल्क सीटें पर अध्ययनरत बालकों व अभिभावकों की सुविधा हेतु ऑनलाइन परियेदना निस्तारण तंत्र भी प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान विद्यालयों में प्रवेश, भौतिक सत्यापन व पुनर्भरण में अनुभव की गयी कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक सत्र 2019–20 के लिए आंशिक संशोधित दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं।

ये दिशा-निर्देश गैर सरकारी विद्यालयों, माता-पिता एवं अभिभावकों तथा विभागीय अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दिशा निर्देश शिक्षा का अधिकार मूल अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियम, 2011 तथा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेश/परिपत्रों के आधार पर तैयार किये गये हैं। (**संलग्न परिशिष्ट-1**) यदि इनमें और मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/निर्देश/आदेश में कोई विसंगति लगे तो मूल अधिनियम/ नियम/अधिसूचना/निर्देश/आदेश ही मान्य होंगे।

अध्याय—2 : प्रवेश प्रक्रिया

1. एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश — निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियमों के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक “कमजोर वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा हेतु प्रवेश देना होगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा। एन्ट्री लेवल कक्षा के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांकःप 21(19)प्राशि/आयो/2009 जयपुर, दिनांक 17.01..2014 के आधार पर कार्यवाही करनी होगी। जिसके अनुसार जो निजी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षा की एन्ट्री कक्षा (PP3+/PP4+/PP5+) के साथ-साथ कक्षा—1 में भी सीधे प्रवेश दे रहे हैं, ऐसे निजी विद्यालयों को पूर्व प्राथमिक एवं कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बालकों की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत सीट्स पर पृथक-पृथक “दुर्बल वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा (संलग्न परिशिष्ट—2)। जिन गैर-सरकारी विद्यालयों में दो एन्ट्री कक्षा (पूर्व प्राथमिक एवं कक्षा—1) हैं ऐसे विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019–20 में कक्षा—1 में क्रमोन्नत बालक-बालिकाओं की वास्तविक स्थिति पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। निःशुल्क एवं सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं में से जो बालक-बालिका विद्यालय छोड़ चुके हैं या टी.सी. ले जा चुके हैं उनके नामों को पोर्टल से हटाना होगा तथा निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कक्षा—1 में क्रमोन्नत एवं नवीन प्रवेशित बालक-बालिकाओं में से निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

(स्पष्टीकरण : दो एन्ट्री कक्षा में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश केवल उन्हीं विद्यालयों को देना है जिन विद्यालयों की पूर्व प्राथमिक एन्ट्री कक्षा में सीट्स की संख्या कम है तथा कक्षा—1 में सीट्स की संख्या अधिक है, जैसे किसी विद्यालय में प्रवेश हेतु नर्सरी में 50 सीट्स हैं तथा कक्षा—1 में 100 सीट्स हैं। इस विद्यालय में 50 बालक क्रमोन्नत होकर कक्षा—1 में आते हैं तथा कक्षा—1 की शेष 50 सीट्स पर बालकों को सीधे प्रवेश दिया जाता है। ऐसे विद्यालय को नर्सरी की 50 सीट्स व कक्षा—1 की सीधे प्रवेश वाली 50 सीट्स में से दोनों कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीट्स पर निःशुल्क प्रवेश देने होंगे। जिन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक एन्ट्री कक्षा व कक्षा—1 में सीट्स की संख्या लगभग समान रहती है, ऐसे विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश केवल पूर्व प्राथमिक एन्ट्री कक्षा में ही होगा। जिन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ अर्थात् कक्षा—1 से पहले की कक्षाएँ एक से अधिक हैं उनमें सबसे छोटी कक्षा ही निःशुल्क प्रवेश हेतु पूर्व प्राथमिक एन्ट्री कक्षा होगी।)

2. प्रवेश के लिए पात्रता — आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

- 2.1 बालक गैर सरकारी विद्यालय के आस-पास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए— राज्य के आरटीई नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात् नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहाँ से वांछित संख्या में बालक-बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में विद्यालय से सम्बन्धित शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

- 2.2 बालक “दुर्बल वर्ग” या “असुविधाग्रस्त समूह” से संबंधित होना चाहिए :-

- 2.2.1 दुर्बल वर्ग— राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक No-21(19)Edu.-1/E.E/2009 जयपुर, दिनांक 6 अप्रैल, 2017 के अनुसार “दुर्बल वर्ग” में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

- (a) ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये या उससे कम है।

2.2.2 असुविधाग्रस्त समूह— राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक No-21(19)Edu.-1/E.E/2009

जयपुर, दिनांक 6 अप्रैल, 2017 के अनुसार “असुविधाग्रस्त समूह” में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

- (a) अनुसूचित जाति के बालक
- (b) अनुसूचित जन जाति के बालक
- (c) अनाथ बालक
- (d) एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता—पिता / संरक्षक के बालक
- (e) युद्ध विधवा के बालक
- (f) निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हो।
- (g) पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.0 लाख रुपये या उससे कम है।
- (h) ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई, बी.पी. एल सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है।

2.3 प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता:— एन्ट्री क्लास में प्रवेश हेतु बालक की आयु निम्नानुसार होगी:—

क्र.सं.	एन्ट्री लेवल कक्षा का नाम	प्रवेश हेतु आयु
1.	Pre Primary 3+ (PP.3+)	3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष से कम
2.	Pre Primary 4+ (PP.4+)	3 वर्ष 6 माह या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम
3.	Pre Primary 5+ (PP.5+)	4 वर्ष 6 माह या उससे अधिक परन्तु 6 वर्ष से कम
4	First	5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम

नोट —

- विद्यालय में कक्षा—1 से पूर्व तीन पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ संचालित होने पर एन्ट्री कक्षा Pre Primary 3+ (PP.3+), दो पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ संचालित होने पर एन्ट्री कक्षा Pre Primary 4+ (PP.4+) व एक पूर्व प्राथमिक कक्षा संचालित होने पर एन्ट्री कक्षा Pre Primary 5+ (PP.5+) होगी।
- उपरोक्त व्यवस्था में एन्ट्री लेवल कक्षा के जो नाम दिये गये हैं वे विद्यालयों में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं लेकिन प्रवेश के लिये आयु सीमा उपरोक्तानुसार ही होगी।
- विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक-बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष 31 मार्च, 2019 को पूर्ण होनी चाहिए।

2.4 निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र:— बालक/अभिभावक के निवास के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के सम्बन्ध में बालक/अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली का बिल (6 माह से पुराना नहीं हो)/पानी का बिल (6 माह से पुराना नहीं हो) भी मान्य होंगे। निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने की स्थिति में सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी देना होगा।

2.5 निःशुल्क प्रवेश हेतु “दुर्बल वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” से संबंधित प्रमाण पत्र:— “दुर्बल वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” से संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। एचआईवी या केंसर से पीड़ित बालक/अभिभावक के सम्बन्ध में किसी रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र द्वारा दी गयी रिपोर्ट मान्य होगी।

2.6 निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये दस्तावेज़:- प्रवेश के लिये आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में:-

- (क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर/अभिलेख
- (ख) ऑँगनबाड़ी अभिलेख और
- (ग) आधार कार्ड

उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये मान्य होगा तथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाएगा। प्रवेश उपरान्त जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. प्रवेश का टाईम फ्रेम:-

राज्य के सभी गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के सम्पन्न होने की एक रूपता की दृष्टि से निम्नानुसार टाईम फ्रेम निर्धारित किया जाता है :—

क्र.सं.	विवरण / गतिविधि	टाईमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	दिशा-निर्देश जारी होने के तत्काल बाद	निदेशालय व सम्बन्धित निजी विद्यालय
2	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना	15 मार्च 2019 तक	सम्बन्धित अभिभावक
3	ऑनलाइन लाटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण	19 मार्च 2019	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
4	अभिभावकों द्वारा लॉटरी उपरान्त इच्छित विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना।	29 मार्च 2019 तक	सम्बन्धित अभिभावक
5	बालकों का विद्यालय में प्रवेश	30 मार्च 2019 से	सम्बन्धित निजी विद्यालय
6	निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एन्ट्री	31 जुलाई 2019 तक	सम्बन्धित निजी विद्यालय

- नोट:** 1. क्र.सं. 2 पर अंकित गतिविधि “विज्ञापन जारी करना” के लिए संबंधित विद्यालय समाचार पत्रों/स्वयं की वेब साईट/स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन, पम्पलेट आदि का उपयोग कर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे, जिससे विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी आम नागरिकों तक पहुँच सके।
2. संबंधित विद्यालय/कार्यालय को उपरोक्त टाईम फ्रेम में गतिविधि के सामने अंकित तिथि के अनुसार कार्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न करना होगा।

4. आवेदन की प्रक्रिया:- अभिभावक विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

- 4.1 कोई भी अभिभावक अपने परिक्षेत्र के गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है लेकिन यदि कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों के लिए ही संचालित है उनमें कमशः केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों का प्रवेश ही संभव है।
- 4.2 सर्व प्रथम अभिभावक को प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rte.raj.nic.in (Mirror site www.rajpsp.nic.in) को एक्सेस कर बालक एवं स्वयं के सम्बन्ध में पात्रता सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएँ प्रविष्ट करनी होंगी। आवेदन में मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करना आवश्यक है।
- 4.3 सूचना प्रविष्टि के बाद अभिभावक को एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड प्राप्त होंगे। इस एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड का उपयोग कर अभिभावक को लॉगइन करना है तथा बालक व स्वयं के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाएँ प्रविष्ट करनी हैं।
- 4.4 ऑनलाइन आवेदन के समय बालक/माता-पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेश हेतु कक्षा, जन्म तिथि व अन्य सूचनाएँ सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करें। इस प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रवेश प्रक्रिया में बाधक बन सकती है जिसका दायित्व संबंधित अभिभावक का होगा।
- 4.5 अभिभावक एक बार ही ऑनलाइन सूचनाएँ प्रविष्ट कर अपने परिक्षेत्र (Catchment Area) के अधिकतम 15 इच्छित विद्यालयों का चयन कर सकता है।

- 4.6 ऑन लाइन आवेदन करने के बाद पोर्टल पर भरी गयी सूचनाओं को लॉक कर प्रिंट लेना है।
- 4.7 अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी दी गई है। अभिभावक गूगल प्ले स्टोर से “राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप” डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

5. विद्यालय में रिपोर्टिंग:-

- 5.1 ऑनलाइन लॉटरी निकलने के बाद अभिभावकों को आवेदन पत्र के प्रिंट आउट एवं आवश्यक दस्तावेज सहित इच्छित विद्यालय में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्टिंग करनी है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न रिपोर्टिंग प्रपत्र भी भरकर देना है तथा विद्यालय से इसकी पावती (Receipt) भी प्राप्त करनी है। आवेदन पत्र के प्रिंटआउट पर बालक/बालिका का फोटो लगाना अनिवार्य है।
- 5.2 विद्यालय में निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में बालक/बालिका प्रवेश का पात्र नहीं होगा। यदि कोई विद्यालय रिपोर्टिंग करवाने से मना करता है तो अभिभावक इसकी शिकायत लिखित में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा को कर सकते हैं अथवा प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सम्बन्धित कार्यालय रिपोर्टिंग नहीं करवाने वाले विद्यालय के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे।
- 5.3 वरीयता सूची निर्धारण हेतु निकाली गयी केन्द्रीकृत ऑनलाइन लॉटरी में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों के आधार पर वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाएगा। इस सूची के आधार पर ही वरीयता से विद्यालय बालकों को प्रवेश देंगे। विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट्स पर वरीयता सूची के सभी बालकों का विद्यालय में प्रवेश हो यह आवश्यक नहीं है। निःशुल्क प्रवेश पैरा-8 में वर्णित रोस्टर प्रक्रिया से होगा।
6. आवेदन पत्रों की जाँच:- अभिभावकों से लॉटरी के उपरान्त रिपोर्टिंग के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की जायेगी। दस्तावेजों की वैधता के संबंध में स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है। आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की चैक लिस्ट निम्न प्रकार है—

6.1 “दुर्बल वर्ग” के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज़:-

- 6.1.1 अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये तक होने का प्रमाण पत्र
- 6.1.2 बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र
- 6.1.3 बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज

6.2 “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज़:-

- 6.2.1 बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अथवा बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र अथवा अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा अथवा एचआईवी/केंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र अथवा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र अथवा पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये तक होने का प्रमाण पत्र अथवा बी.पी.एल. कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)

- 6.2.2 बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

- 6.2.3 बालक का आयु सम्बन्धी दस्तावेज।

- 6.3 आवेदन पत्रों के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज लॉटरी दिनांक से पूर्व की तिथियों में जारी होना आवश्यक है। लॉटरी दिनांक या उसके बाद की तिथियों में जारी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। गत सत्रों के वार्षिक आय के आधार पर प्रवेशित विद्यार्थियों के वर्तमान सत्र के लिए प्रस्तुत किये गये आय प्रमाण—पत्र वर्तमान सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक के मान्य होंगे।

- 6.4 अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई जानकारियों से सम्बन्धित दस्तावेज ही संलग्न करने हैं। ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज में उपलब्ध जानकारियों के भिन्न पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा। निःशुल्क प्रवेश हेतु अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज के अपूर्ण/असत्य पाये जाने पर विद्यालय सम्बन्धित बालक का प्रवेश निरस्त कर सकेगा लेकिन आवेदन निरस्त करने से पूर्व दस्तावेजों की जाँच कराया जाना आवश्यक है। जिन अभिभावकों ने अपने निवास एवं विद्यालय का वार्ड/ग्राम समान होने का विकल्प चुना है, उनके निवास प्रमाण—पत्र की गहनता से जाँच कर इस तथ्य की पुष्टि कर लें, तथा यदि यह तथ्य गलत पाया जाता है तो गलत सूचना दिए जाने के कारण आवेदन निरस्त होगा।

7. केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया :—

- 7.1 ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का प्रवेश हेतु वरीयता क्रम निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रेण्डम विधि से निर्धारित तिथि को राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जायेगा।
- 7.2 यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वरीयता सूची में विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर ऑन लाईन आवेदन करने वाले सभी बालकों के नाम सम्मिलित किये गये हैं। अतः यह प्रवेश हेतु केवल वरीयता सूची है, इसे प्रवेश के लिए चयन सूची नहीं माना जावे।
- 7.3 इस सूची का उपयोग शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेशित बालकों के साथ सम्मिलित कर निम्नानुसार निर्धारित रोस्टर प्रक्रिया में किया जाएगा। वास्तविक चयन के लिए रोस्टर के आधार पर तैयार की गई सूची ही मान्य होगी। विद्यालय इस सूची को अपनी वेबसाईट/नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे एवं सभी अभिभावकों को इसकी सूचना प्रेषित की जाएगी।
- 7.4 इस प्रकार अन्तिम रूप से प्रवेशित बालकों (शेष 75 प्रतिशत बालकों सहित) की सूची की विद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक वेब पोर्टल पर एन्ट्री की जाएगी।

8. प्रवेश के लिए रोस्टर प्रक्रिया :—

निःशुल्क प्रवेशित बालकों की केन्द्रीकृत लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूची एवं शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रविष्ट बालकों की सूची को निम्नांकित रोस्टर के आधार पर तैयार किया जायेगा :—

1.निःशुल्क प्रवेश	11.सामान्य प्रवेश	21.निःशुल्क प्रवेश	31.सामान्य प्रवेश
2.सामान्य प्रवेश	12.सामान्य प्रवेश	22.सामान्य प्रवेश	32.सामान्य प्रवेश
3.सामान्य प्रवेश	13.निःशुल्क प्रवेश	23.सामान्य प्रवेश	33.निःशुल्क प्रवेश
4.सामान्य प्रवेश	14.सामान्य प्रवेश	24.सामान्य प्रवेश	34.सामान्य प्रवेश
5. निःशुल्क प्रवेश	15.सामान्य प्रवेश	25. निःशुल्क प्रवेश	35.सामान्य प्रवेश
6.सामान्य प्रवेश	16.सामान्य प्रवेश	26.सामान्य प्रवेश	36.सामान्य प्रवेश
7.सामान्य प्रवेश	17.निःशुल्क प्रवेश	27.सामान्य प्रवेश	37.निःशुल्क प्रवेश
8.सामान्य प्रवेश	18.सामान्य प्रवेश	28.सामान्य प्रवेश	38.सामान्य प्रवेश
9.निःशुल्क प्रवेश	19.सामान्य प्रवेश	29.निःशुल्क प्रवेश	39.सामान्य प्रवेश
10.सामान्य प्रवेश	20.सामान्य प्रवेश	30.सामान्य प्रवेश	40.सामान्य प्रवेश

कुल निःशुल्क प्रवेश— 10

सामान्य प्रवेश — 30

- उपरोक्त रोस्टर एन्ट्री कक्षा के लिए 40 बालकों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। संख्या अधिक होने पर यहीं प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी।
- 40 से कम प्रवेश होने की स्थिति में जिस रोस्टर बिन्दु तक प्रवेश होंगे वहां तक निःशुल्क प्रवेशित एवं सामान्य प्रवेशित बालकों की संख्या का निर्धारण होगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी विद्यालय में 18 प्रवेश हो तो उनमें से 5 निःशुल्क प्रवेशित तथा 13 सामान्य प्रवेशित बालक होंगे।
- प्रवेश प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण **परिशिष्ट— 4** पर सलंग्न है।

9. प्रवेश, सत्यापन व पुनर्भरण कार्य की मॉनिटरिंग :—

निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश, सत्यापन व पुनर्भरण के कार्य की सतत मॉनिटरिंग सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि. प्रथम/द्वितीय) द्वारा की जाएगी।

अध्याय—3 : गैर—सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन प्रक्रिया

10. भौतिक सत्यापन हेतु कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य

10.1 सत्यापन दलों का गठन:-

- 10.1.1 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) अपने—अपने परिक्षेत्र के गैर—सरकारी विद्यालयों की संख्या के आधार पर सत्यापन दलों का गठन करेंगे।
- 10.1.2 दलों का गठन केवल उन्हीं विद्यालयों के लिए किया जायेगा, जिनमें आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत् निःशुल्क सीट्स पर विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह सूची डीईओ प्रा.शि./डीईओ मा.शि. के लॉगिन में उपलब्ध है।
- 10.1.3 सत्यापन दलों का गठन ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। प्रत्येक दल में शामिल दोनों सदस्यों का चुनाव एक ही विद्यालय से किया जाएगा। एक सत्यापन दल को अधिकतम 3 विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। पूर्व में गठित दल यदि किसी कारण से भौतिक सत्यापन करने में असमर्थ है तो परिवेदना के आधार पर दल को निरस्त करने एवं नवीन दल के ऑनलाइन गठन का अधिकार सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी का रहेगा।
- 10.1.4 सत्यापन दल का अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी होगा तथा एक अन्य सदस्य उपलब्धता के आधार पर व्याख्याता/व.अ./अध्यापक/लिपिक वर्ग होगा।
- 10.1.5 प्रारम्भिक शिक्षा में पर्याप्त संख्या में राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में दलों के अध्यक्ष के रूप में माध्यमिक शिक्षा से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/व्याख्याता लिए जा सकेंगे तथा शेष एक सदस्य प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय/अध्यापक में से लिया जा सकेगा।
- 10.1.6 दल गठन के समय यथा सम्भव दल सदस्यों के पदस्थापन के ब्लॉक में ही गैर—सरकारी विद्यालय सत्यापन हेतु दिये जायें।

10.2 विशेष सत्यापन दलों का गठन:-

- 10.2.1 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) अपने अधीन विद्यालयों के सेम्प्ल सत्यापन के लिए आवश्यकतानुसार अपने कार्यालय से विशेष सत्यापन दलों का गठन करेंगे।
- 10.2.2 यह विशेष सत्यापन दल जिले में विद्यालयों की संख्या का एक प्रतिशत अथवा 20 विद्यालय, जो भी अधिक हों, का अनिवार्य रूप से सत्यापन करेंगे।
- 10.2.3 ये विशेष दल उन विद्यालयों का पुनः सत्यापन करेंगे जो सत्यापन दलों द्वारा सत्यापित किए जा चुके हैं। निरीक्षण से पूर्व उन विद्यालयों की मूल सत्यापित रिपोर्ट को साथ लेकर जाएंगे तथा मूल सत्यापन से भिन्नता पाये जाने पर विशेष सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा मूल सत्यापन रिपोर्ट में लाल स्थाही के पैन से आवश्यक संशोधन किये जाएंगे। उक्त संशोधन विद्यालय प्रति एवं कार्यालय प्रति दोनों में किये जाएंगे।
- 10.2.4 विद्यालय द्वारा विशेष सत्यापन दल द्वारा संशोधित सत्यापन रिपोर्ट को ही आरटीई वेबपोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा सम्बन्धित कार्यालय द्वारा उसी के अनुरूप इसका मिलान कर सत्यापन किया जाएगा।
- 10.2.5 विशेष सत्यापन दलों द्वारा उन विद्यालयों की भी पुनः जॉच की जायेगी जिन विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में परिवेदनायें प्राप्त हुई हैं।
- 10.2.6 विशेष जॉच दल द्वारा निरीक्षण किये गये विद्यालयों की सूचना की प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन से करनी है।

10.3 सत्यापन दलों का प्रशिक्षण :-

- 10.3.1 जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा अपने—अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों के लिए गठित सत्यापन दलों का प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। बिना प्रशिक्षण के किसी भी सत्यापन दल को सत्यापन हेतु विद्यालय में नहीं भेजा जायेगा।
- 10.3.2 प्रशिक्षण के दौरान सत्यापन दलों को “दुर्बल वर्ग” व “असुविधाग्रस्त समूह” की परिभाषा, प्रवेश हेतु कैचमेंट एरिया, आयु पॉलिसी व एन्ट्री कक्षा एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की जॉच के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
- 10.3.3 निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश की ऑनलाइन व विगत सत्रों की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सत्यापन दलों को दी जायेगी।

- 10.3.4 यह जानकारी इन दिशा—निर्देशों के आधार पर दी जायेगी। यह दिशा निर्देश प्राइवेट स्कूल वेब—पोर्टल <http://www.rajpsp.nic.in> पर उपलब्ध है।
- 10.3.5 सत्यापन दलों को सम्बन्धित विद्यालयों के नाम की सूची मय पता मोबाइल नम्बर, लैण्डलाइन नम्बर उपलब्ध करवायी जाएगी तथा सत्यापन दलों को भौतिक सत्यापन के दिशा—निर्देशों की एक—एक प्रति भी दी जाएगी।
- 10.3.6 जिले के आरटीई प्रभारी अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के फोन नम्बर भी सत्यापन दलों को उपलब्ध करवायें जायें जिससे सत्यापन दल आवश्यकता पड़ने पर जानकारी प्राप्त कर सकें।

10.4 भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों को कार्यालय स्तर से सत्यापित करना :-

- 10.4.1 भौतिक सत्यापन के दौरान सतत मॉनिटरिंग कर विद्यालयों से सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रविष्टि करवायी जाए।
- 10.4.2 जिन विद्यालयों के सत्यापन प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रविष्ट कर लॉक कर दिए जाएं उन प्रतिवेदनों की कार्यालय प्रति से मिलान करते हुए उन्हें तत्काल सत्यापित या असत्यापित कर दिया जाए।
- 10.4.3 सत्यापन करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत समस्त बालकों के आधार नम्बर अथवा आधार नामांकन ऑनलाइन प्रविष्ट कर दिए गए हैं।
- 10.4.4 कार्यालय स्तर से निर्धारित तिथि तक सत्यापन प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं होने तथा विद्यालय के फीस पुनर्भरण से वंचित होने पर सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

10.5 भौतिक सत्यापन का टाइम फ्रेम :-

क्र.सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	निर्धारित तिथियाँ
1	भौतिक सत्यापन दलों का गठन व प्रशिक्षण	31.07.2019 तक
2	विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य	01.08.2019 से 30.08.2019 तक
3	विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	01.08.2019 से 11.09.2019 तक
4	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना	01.08.2019 से 20.09.2019 तक

नोट:- कार्यालय द्वारा सत्यापन रिपोर्ट के मिलान के दौरान रिजेक्ट की गयी रिपोर्ट को विद्यालय द्वारा सही प्रविष्ट कर अधिकतम 7 दिवस के अन्दर पुनः लॉक करना है। यदि विद्यालय तय अवधि में रिपोर्ट को लॉक नहीं करता है तो विभाग द्वारा इन बालकों की फीस का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा तथा विद्यालय निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

भौतिक सत्यापन हेतु दलों द्वारा किये जाने वाले कार्य :—

11 सत्यापन हेतु सामान्य निर्देश :—

- 11.1 विद्यालय प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अपने लॉगिन से भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की दो प्रतियों का प्रिंट आउट लेकर तैयार रखें। प्रिंट आउट लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी कक्षाओं के सभी बालक—बालिकाओं की पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जा चुकी है।
- 11.2 भौतिक सत्यापन दल के अवलोकन हेतु बालकों के आवेदन पत्र मय संलग्नक व रिपोर्टिंग प्रपत्र, कैश बुक, रसीद बुक, बैंक पास बुक, एस.आर. रजिस्टर, कक्षा उपस्थिति रजिस्टर व पूर्व के सत्रों में आय के आधार पर प्रवेशित बालकों (केवल सामान्य, ओबीसी व एसबीसी वर्ग के लिए) के आय प्रमाण—पत्र तैयार रखें। आरटीई अधिनियम की धारा 12(3)के तहत उक्त समस्त सूचनायें विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाना बाध्यकारी है।
- 11.3 सत्यापन दल, विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के प्रिंट आउट के आधार पर ही विद्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन में पूर्व से भरी सूचनाओं व बालकों का भौतिक सत्यापन करेंगे।
- 11.4 भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में प्रविष्ट विद्यालय की स्थिति (Location), कक्षा स्तर (किस कक्षा तक), मान्यता, एप्ट्री कक्षा व आयु पॉलिसी की ध्यानपूर्वक जाँच करने के बाद ही इनको सत्यापित करें।
- 11.5 विद्यालय की स्थिति के संबंध में ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम), ग्राम पंचायत, ग्राम, वार्ड तथा शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की गहन जाँच के बाद ही इन्हें सत्यापित करें। यदि विद्यालय के ग्राम/वार्ड अथवा ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय में परिवर्तन है तो यह परिवर्तन विद्यालय लॉगिन से ही सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन करते समय किया जा सकता है लेकिन यदि विद्यालय के ब्लॉक के नाम में परिवर्तन है तो रिपोर्ट ऑनलाइन प्रविष्ट होने के बाद डीईओ प्रा.शि./डीईओ मा.शि. के लॉगिन से रिपोर्ट सत्यापित करने से पूर्व यह परिवर्तन किया जाये तथा सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित डीईओ कार्यालय को भिजवाई जाये।
- 11.6 विद्यालय की एन्ट्री कक्षा (विद्यालय में कक्षा—1 से पूर्व तीन पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ होने पर एन्ट्री कक्षा 3+, दो पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ होने पर एन्ट्री कक्षा 4+ व एक पूर्व प्राथमिक कक्षा होने पर एन्ट्री कक्षा 5+ होगी) की जाँच की जाये।
- 11.7 प्रतिवेदन में भरी सूचनाओं में यदि कोई सूचना गलत है तो उस पर गोला करना है तथा उसके पास ही सही सूचना को अंकित करना है। सूचनाओं में परिवर्तन निरीक्षण प्रतिवेदन की दोनों प्रतियों में करने हैं।
- 11.8 इस प्रपत्र में पूर्व में भरे हुए डाटा में बदलाव से विद्यालय सहमत है। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इस सत्र में प्रवेशित बालकों का पोर्टल पर यथानुसार परिवर्तन हो जायेगा, जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा एवं उसे ज्ञात है कि इसमें दुबारा से बदलाव सम्भव नहीं है।
- 11.9 भौतिक सत्यापन दल द्वारा विद्यालय से किसी भी दस्तावेज की छाया प्रति देने की मांग नहीं की जायेगी और न ही निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ सलंगन की जायेगी। भौतिक सत्यापन दल द्वारा जो भी रिकार्ड अवलोकित किया जाए प्रमाण के रूप में दल के अध्यक्ष द्वारा अवलोकित दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित की जाए।
- 11.10 सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन ही सम्बन्धित संस्थाप्रधान/प्रभारी को प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर उपलब्ध करवायी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित डीईओ (प्रारम्भिक शिक्षा)/डीईओ (माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय में जमा करवायी जायेगी।
- 11.11 सत्यापन दल द्वारा उपलब्ध करवाये गये निरीक्षण प्रतिवेदन को गैर—सरकारी विद्यालय द्वारा तत्काल आरटीई वेबपोर्टल पर अपलोड करना है।

12 आधार कार्ड सत्यापन सम्बन्धी निर्देश :—

- 12.1 स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आरटीई की धारा 12(1)(g) के तहत विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालक—बालिकाओं (वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित तथा पूर्व सत्रों के क्रमोन्नत) के आधार कार्ड की फोटोकॉपी अथवा आधार कार्ड हेतु नामांकन रसीद की फोटोकॉपी लिया जाना अनिवार्य है।

12.2 जिन बालक-बालिकाओं के आधार कार्ड अथवा आधार कार्ड हेतु नामांकन की रसीद की फोटोकॉपी प्राप्त नहीं हुई है, उन बालक-बालिकाओं को सत्यापित नहीं किया जाये परन्तु जिन बालक-बालिकाओं के आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी विद्यालय को शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है उन्हें अपात्र नहीं किया जाये। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में ऐसे बालक-बालिकाओं के कॉलम को रिक्त छोड़ दिया जाये।

12.3 यदि किसी विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालक-बालिकाओं में से कुछ के आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन की रसीद की फोटोकॉपी प्राप्त नहीं हुई है तथा इनके शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है वह विद्यालय अपनी सत्यापन रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रविष्ट कर लॉक नहीं करें।

12.4 विद्यालय ऐसे बालक-बालिकाओं के अभिभावकों से आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी प्राप्त करने की कोशिश करें। यदि फोटोकॉपी सत्यापन रिपोर्ट तैयार होने के बाद प्राप्त होती है तो विद्यालय के संस्थाप्रधान सत्यापन रिपोर्ट की विद्यालय प्रति एवं आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी को सम्बन्धित कार्यालय (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) एवं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि.) में प्रस्तुत करेंगे।

12.5 सम्बन्धित कार्यालय में आरटीई प्रभारी द्वारा आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी का मिलान सत्यापन रिपोर्ट में बालक-बालिका के विवरण से किया जायेगा तथा विवरण सत्यापित होने पर सभी फोटोकॉपी पर आरटीई प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। इन बालक-बालिकाओं को सत्यापन रिपोर्ट की दोनों प्रतिओं (विद्यालय एवं कार्यालय प्रति) में सत्यापित फीस के पुनर्भरण योग्य किया जायेगा।

12.6 सत्यापन रिपोर्ट में आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन के सम्बन्ध में सभी बालक-बालिकाओं की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात् ही विद्यालय द्वारा रिपोर्ट को ऑनलाइन कर लॉक किया जायेगा लेकिन यह कार्य सत्यापन रिपोर्ट की प्रविष्टि हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व किया जाना अनिवार्य है।

12.7 सम्बन्धित कार्यालय प्रत्येक विद्यालय की सत्यापन रिपोर्ट को कार्यालय प्रति के आधार पर प्रमाणित (Verify) करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि रिपोर्ट में पात्र पाये गये बालक-बालिकाओं की आधार संख्या अथवा आधार नामांकन संख्या प्रविष्ट कर दी गई है।

12.8 यदि किसी बालक/बालिका के विद्यालय में उपलब्ध विवरण यथा बालक/बालिका का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक या पता, आधार कार्ड में दी गई सूचनाओं की तुलना में आंशिक रूप से भिन्न है तो इन बालक-बालिकाओं के प्रवेश को निरस्त नहीं किया जाए।

12.9 इन बालक-बालिकाओं के विवरण की आंशिक अशुद्धियों को आधार कार्ड के आधार पर बाद में सही कर दिया जायेगा यदि इन अशुद्धियों को सही करने से बालक/बालिका की पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

13 निःशुल्क एवं सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की जाँच सम्बन्धी निर्देश :-

13.1 निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन कर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक की पात्रता की जाँच की जाए तथा पात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य पाये गये बालकों को सत्यापित किया जाए। जो बालक प्रवेश हेतु अपात्र पाए जावें अर्थात् पुनर्भरण योग्य नहीं पाये जावें उनके अयोग्य होने के कारणों के कोड अंकित करने हैं।

13.2 सत्यापन दल 25 प्रतिशत निःशुल्क एवं शेष 75 प्रतिशत सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की नियमित उपस्थिति की भी जांच करेंगे। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक झाप-आउट पाया जाए तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे। सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों के आवेदन पत्रों व अन्य दस्तावेजों की गहन जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि ये बालक वास्तविक रूप से विद्यालय में अध्ययनरत हैं।

13.3 शैक्षिक सत्र 2019-20 में एन्ट्री कक्षा में निःशुल्क व सःशुल्क सीट्स पर नवप्रवेशित बालक-बालिकाओं की गहनता से जाँच करें। यदि सत्यापन के समय निःशुल्क 25 प्रतिशत सीट्स पर दिये गये प्रवेश की तुलना में सःशुल्क 75 प्रतिशत सीट्स पर कम संख्या में बालक-बालिकाएं अध्ययनरत पाये जाते हैं तो सःशुल्क 75 प्रतिशत सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की संख्या के आधार पर ही 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर बालक-बालिकाओं को सत्यापित किया जाये। निःशुल्क सीट्स पर 25 प्रतिशत से अधिक संख्या में प्रवेशित बालक-बालिकाओं में से वरीयता सूची में नीचे से बालक-बालिकाओं के प्रवेश को निरस्त किया जायेगा। यह व्यवस्था केवल वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ही लागू होगी।

13.4 यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रवेशित बालक-बालिका प्रवेश के बाद लगातार विद्यालय में आ रहे हैं तथा इनका अन्यत्र किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ है।

14 विद्यालय की फीस की जॉच सम्बन्धी निर्देश :—

14.1 सत्यापन दल विद्यालय के अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जॉच कर विद्यालय द्वारा अन्य बालकों से ली जा रही फीस का सत्यापन करेंगे।

14.2 फीस के सत्यापन के लिए विद्यालय के अभिलेखों यथा रसीद बुक, कैशबुक, बैंक पासबुक, फीस संधारण रजिस्टर एवं वाउचर पंजिका का निरीक्षण करेंगे। यदि आवश्यक हो तो बालकों एवं अभिभावकों से बात कर फीस की पुष्टि कर ली जावे।

14.3 फीस के समस्त रिक्त कॉलमों में फीस की प्रविष्टि करनी है। विद्यालय को यह ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान शैक्षिक सत्र की वार्षिक फीस की राशि अंकित नहीं करने पर इस सत्र की प्रथम एवं द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा परन्तु निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित बालकों को अपने स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य होंगा।

14.4 सत्यापन दल द्वारा निर्देशों के विपरीत गलत तरीके से अथवा अभिलेखों का अवलोकन किये बिना ही फीस का आकलन कर राशि अंकित करने एवं पुनर्भरण की अनुशंषा करने पर गलत/अनियमित भुगतान होने की स्थिति में सत्यापन दल का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

15. सत्यापन दल द्वारा नवप्रवेशित बालकों के आवेदन पत्रों की जॉच :—

15.1 यह जॉच बालक के “दुर्बल वर्ग” या “असुविधाग्रस्त समूह” से सम्बन्धित होने, प्रवेश हेतु निर्धारित कैचमेन्ट एरिया के निवासी होने तथा प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता पूरी करने के आधार पर की जायेगी तथा इनसे सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की भी जांच की जाएगी कि प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं अथवा नहीं।

15.2 दल द्वारा जिन अभिलेखों का अवलोकन किया जाए उन पर लघु हस्ताक्षर भी किए जाएँ।

15.3 सत्यापन प्रतिवेदन दो प्रतियों में तैयार कर सत्यापन दिवस को ही एक प्रति विद्यालय को तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित कार्यालय को उपलब्ध करवा दी जाए। सत्यापन रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर सत्यापन दल सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य है।

नोट:- स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.21(32) प्राशि/आयो./2017 पार्ट जयपुर दिनांक 27.09.2018 के बिन्दु संख्या 2.1.2.9 में आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर-सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों के भौतिक सत्यापन व सत्यापित बालकों की फीस के पुनर्भरण कार्य को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को आवंटित किया गया है। दिनांक 05.02.2019 को आयुक्त रा.स्कूल.शि.प., जयपुर की अध्यक्षता में निःशुल्क सीट्स पर शैक्षिक सत्र 2019–20 में बैठक हुई। प्रवेश भौतिक सत्यापन व फीस के पुनर्भरण के दिशा-निर्देश को तैयार किए जाने हेतु बैठक में निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा कर यह निर्णय लिया गया कि निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों का भौतिक सत्यापन व फीस का पुनर्भरण जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक व माध्यमिक (मुख्यालय) शिक्षा से वर्तमान में चल रही व्यवस्था के अनुसार ही करवाया जाना उचित रहेगा। बैठक में निर्णय के क्रम में निदेशालय प्रा.शि. राजस्थान द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा तथा अनुमोदन व आदेश प्रसारित होने की स्थिति में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भौतिक सत्यापन व फीस के पुनर्भरण को जिला स्तर से ही यथावत कर दिया जाएगा। अतः इन दिशा-निर्देशों का अध्याय-3 व 4 इस आदेश के अधीन रहेगा तथा आवश्यकता होने पर इस अध्यायों में संशोधन किया जाएगा।

अध्याय—4 : गैर—सरकारी विद्यालयों को फीस के पुनर्भरण की प्रक्रिया

16. पुनर्भरण प्रक्रिया:-

- 16.1 भौतिक सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सत्यापन रिपोर्ट की विद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि तथा कार्यालय द्वारा ऑनलाइन वेरिफाई किए जाने के बाद विद्यालय द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से पुनर्भरण हेतु दावा प्रपत्र (Claim Bill) जनरेट किया जाएगा।
- 16.2 दावा प्रपत्र पर विद्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मय सील करवाकर इसकी दो हार्ड कापी सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार. शिक्षा)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य. शिक्षा) कार्यालय में रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से प्रेषित करनी होगी। प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड डाक प्रेषण की दिनांक व क्रमांक ऑनलाइन फीड किये जाएंगे।
- 16.3 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार. शिक्षा)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य. शिक्षा) कार्यालय इस प्रकार रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त क्लेम बिल का एक अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड संधारित करेंगे।
- 16.4 विद्यालय क्लेम बिल जनरेट करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि उसे निःशुल्क भूमि/भवन/उपस्कर आदि में से कुछ आवंटन निःशुल्क/रियायती दरों पर प्राप्त हैं तो ऐसे निःशुल्क/रियायती दरों पर आवंटन के आदेश में विद्यालय जितने बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की शर्त के अध्याधीन है, उसे उतने बालकों के संबंध में प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। अतः मांग की राशि में से उक्त बालकों की संख्या के आधार पर बनने वाली प्रतिपूर्ति की राशि को घटाकर शुद्ध मांग की जायेगी।
- 16.5 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार. शिक्षा)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य. शिक्षा) कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त दावा प्रपत्रों (Claim bill) के आधार पर भुगतान स्वीकृति आदेश (Pass order) बना कर ट्रेजरी के माध्यम से विद्यालयों के खातों में ऑनलाइन पुनर्भरण किया जाएगा।
- 16.6 प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण के लिए कार्यालयों को बजट का आवंटन निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण के लिए बजट का आवंटन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा किया जाएगा।
- 16.7 उपयोगिता प्रमाण पत्र :- प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित किया जाएगा।

17. विद्यालयों को फीस के पुनर्भरण हेतु टाइम फ्रेम:

क्र. सं.	गतिविधि / कार्यक्रम	निर्धारित तिथियाँ	
		प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त
1	विद्यालयों द्वारा दावा प्रपत्र (Claim bill) निकाल कर कार्यालयों में प्रेषित करना।	01.08.2019 से 25.09.2019 तक	02.04.2020 से 30.05.2020 तक
2	कार्यालयों द्वारा प्राप्त दावा प्रपत्रों (Claim bills) के आधार पर भुगतान स्वीकृति आदेश (Pass order) बनाकर ट्रेजरी भिजवाना।	08.08.2019 से 10.10.2019 तक	10.04.2020 से 10.06.2020 तक
3	निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश देने वाले सभी पात्र विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण सुनिश्चित करना।	20.10.2019 तक	25.06.2020 तक
4	सम्बन्धित निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करना।	05.11.2019 तक	10.07.2020 तक

- नोट: 1.पुनर्भरण हेतु उपरोक्त निर्धारित टाइमफ्रेम/प्रक्रिया में आवश्यकता होने पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा समय वांछित संशोधन किया जा सकता है।
- 2.विद्यालयों व कार्यालयों द्वारा अनिवार्यतः उपर्युक्त टाइम फ्रेम के अनुसार समस्त कार्य सम्पादित किया जाना है।

परिशिष्ट – 1 (संदर्भित अध्याय–1)

आदेश / परिपत्रों का सांराश

- **विशेष आवश्यकता वाले बालकों का प्रवेश:** – विकलांगता से ग्रसित बालक-बालिकाओं को अधिनियम के प्रावधानानुसार अनिवार्यतः विद्यालय में प्रवेश दिया जाकर उनके लिए समुचित शैक्षणिक, वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने संबंधी आदेश दि.12.9.2011 को जारी किये गये।
- **विद्यालयों द्वारा बालकों से लिये जा रहे शुल्क के स्थान पर अनुदान/दान/चंदा/सहयोग के नाम से रसीदे काटना :–** 25 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेशित बालकों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉर्स अथवा विद्यालय द्वारा बालकों से ली जाने वाली फीस, जो भी कम हो का किया जाता है। अतः यदि विद्यालयों द्वारा अभिभावकों/बालकों से अनुदान/दान/चंदा/सहयोग आदि लिये जा रहे हैं तो यह राशि पुनर्भरण के योग्य नहीं मानी जायेगी।
- **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में प्रवेश के लिए कक्षा प्रथम अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रथम कक्षा चाहे वह किसी भी नाम से संचालित हो, मान्य होगी। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अधिकतम अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। पूर्व प्राथमिक कक्षा की स्थिति में बालक की न्यूनतम आयु 3 वर्ष की होगी। कुछ विद्यालय प्ले ग्रुप भी संचालित कर रहे हैं लेकिन प्ले ग्रुप निःशुल्क प्रवेश के लिए मान्य नहीं होगा। (दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)**
- **अभिभावकों द्वारा निःशुल्क प्रवेशित बालकों के विद्यालय परिवर्तन के सम्बन्ध में :–** यदि कोई अभिभावक स्वेच्छा से अपने बालक को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरित करना चाहता है तो विद्यालय परिवर्तन होते ही वह बालक फीस के पुनर्भरण का पात्र नहीं माना जावेगा। (दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)
- **अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र लिया जाना :–** निःशुल्क प्रवेश के लिए असुविधाग्रस्त समूह एवं कमजोर वर्ग में सम्मिलित किये गये बालकों की एक श्रेणी अभिभावकों की वार्षिक आय (वर्तमान में रूपये 1.0 लाख या कम) के आधार पर निर्धारित की हुई है। आय के आधार पर प्रवेशित बालकों के अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय का प्रमाण पत्र लेना होगा तथा उस आय के आधार पर ही फीस के पुनर्भरण की पात्रता पर विचार किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र बालक के प्रवेश दिये जाने वाले दिनांक के पूर्व के वित्तीय वर्ष (1अप्रैल से 31 मार्च) की आय के संबंध में होगा (परिपत्र दि.19.10.2012 एवं दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2015–16 तक आय के आधार पर निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश केवल उन्हीं बालक/बालिकाओं का हुआ था जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये तक थी। अतः इन बालक-बालिकाओं के लिए प्रतिवर्ष 2.5 लाख रूपये तक की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र लिया जायेगा।
- **निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालकों की पाठ्यपुस्तकों के संबंध में :–** राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक निर्धारित व्यय (यूनिट कॉर्स) में पाठ्यपुस्तकों की कीमत सम्मिलित की गई है। अतः सम्बन्धित पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश लेने वाले बालकों को पाठ्यपुस्तकें विद्यालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएँगी। (दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)

परिशिष्ट-2 (संदर्भित अध्याय-2 का पैरा 1)

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग

प्रारम्भिक शिक्षा(आयोजना) अनुभाग

क्रमांक: प.21(19)प्रा.शि. / आयो. / 2009

जयपुर, दिनांक: 17.1.2014

समस्त जिला कलकर्त्ता,

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,

समस्त जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।

विषय:- इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.04.2011 द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के स्पष्टीकरण के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.04.2011 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के प्रावधानानुसार निजी विद्यालयों को कक्षा 1 में प्रवेश देने वाले बालकों की कुल संख्या का कम से कम 25% सीट्स पर कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद समूह वर्ग के बालकों को प्रवेश देना बाध्यकारी होगा। यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई निजी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षायें संचालित करता है तो पूर्व प्राथमिक कक्षा हेतु भी कम से कम 25% सीट्स पर कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद समूह वर्ग के बालकों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ निजी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षा एवं कक्षा 1 में समानान्तर रूप से सीधे प्रवेश देते हैं। अतः ऐसे विद्यालयों हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है।

“जो निजी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षा की एन्ट्री कक्षा के साथ—साथ कक्षा 1 में भी सीधे प्रवेश दे रहे हैं, ऐसे निजी विद्यालयों को पूर्व प्राथमिक एवं कक्षा-1 में प्रवेश लेने वाले बालकों की कुल संख्या का कम से कम 25% सीट्स पर पृथक—पृथक कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद समूह वर्ग के बालकों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा”।

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव—शिक्षा, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर पालना सुनिश्चित करने के क्रम में।
6. संयुक्त शासन सचिव—प्रारम्भिक शिक्षा / प्रथम / तृतीय / शिक्षा(ग्रुप-5) विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट – 3 (संदर्भित पेरा–4)

प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप

विद्यालय का नाम.....

आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर “दुर्बल वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों के प्रवेश हेतु

आवेदन–पत्र

(भाग–अ)

1. प्रवेशार्थी की सूचना:-

- 1.1 प्रवेश हेतु कक्षा
- 1.2 प्रवेशार्थी का नाम.....
- 1.3 लिंग
- 1.4 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
- 1.5 जन्म तिथि (अंकों में) / / (शब्दों में).....
- 1.6 जाति वर्ग (SC/ST/OBC/SBC/GEN)
- 1.7 प्रवेशार्थी का धर्म
- 1.8 क्या प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता (CWSN) श्रेणी में आता है ?

2. प्रवेशार्थी के अभिभावक से सम्बन्धित सूचना:-

- 2.1 पिता का नाम..... 2.2 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
- 2.3 माता का नाम..... 2.4 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
- 2.5 संरक्षक का नाम (यदि लागू हो)..... 2.6 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
- 2.7 क्या अभिभावक (BPL) श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं ?
- 2.8 संरक्षक/अभिभावक (परिवार) की कुल वार्षिक आय (रूपये में) –
- 2.9 माता/पिता/संरक्षक का मोबाइल नं.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. माता/पिता/संरक्षक का पूरा पता (संलग्न दस्तावेज के अनुसार):-

ग्राम का नाम/वार्ड नं..... पिन कोड

--	--	--	--	--	--

ग्राम पंचायत या नगर पालिका/परिषद/निगम का नाम

ब्लॉक

जिला.....

4. प्रवेशार्थी का वर्ग(संबंधित बॉक्स में ✓ करें):-

4.1 दुर्बल वर्ग

4.1.1 अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये तक है।

4.2 असुविधाग्रस्त समूह

4.2.1 अनुसूचित जाति

4.2.2 अनुसूचित जनजाति

4.2.3 बालक अनाथ आश्रम का निवासी है।

4.2.4 बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक एचआईवी से प्रभावित है।

4.2.5 बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक केंसर ग्रस्त है।

4.2.6 बालक की माता युद्ध विधवा है।

4.2.7 बालक निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में है।

विशेष आवश्यकता की श्रेणी.....

4.2.8 पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये तक है।

4.2.9. बीपीएल बीपीएल क्रमांक..... केन्द्र/राज्य सूची.....

5. निवास के सम्बन्ध में विकल्प:-

क्या बालक उस वार्ड (शहरी क्षेत्र के लिए) अथवा ग्राम (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) का निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है।

क्या बालक उस वार्ड (शहरी क्षेत्र के लिए) अथवा ग्राम (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से बाहर का लेकिन उस शहरी स्थानीय

निकाय/ग्राम पंचायत का निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है।

नोट :-1 आयु, जाति, निवास स्थान, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

2. बालक/बालिका की आधार संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में आधार कार्ड बनवाया जाना अथवा आधार कार्ड हेतु पंजीयन करवाया जाना शीघ्र सुनिश्चित करें तथा यह नंबर विभाग द्वारा विद्यालय के क्रृतानि नहीं होने पर अथवा किसी दस्तावेज के अपूर्ण/गलत पाये जाने पर बनवाया जायेगा।

3. ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के संलग्न दस्तावेजों से मिलान नहीं होने पर अथवा किसी दस्तावेज के अपूर्ण/गलत पाये जाने पर बनवाया जायेगा।

4. आवेदन के समय बालक की जन्म तिथि हेतु जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर कोई अन्य दस्तावेज दिया गया है तो प्रवेश उपरान्त जन्म प्रमाण–पत्र बनवाकर विभाग द्वारा बालकों के भौतिक सत्यापन से पूर्व विद्यालय को उपलब्ध करवा दिया जाए।

प्रवेशार्थी

का फोटो

(भाग—ब)

माता/पिता/संरक्षक द्वारा सशपथ घोषणा

1. मैं सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में प्रवेशार्थी व स्वयं के सम्बन्ध में दी गई समस्त सूचनाएँ सही हैं। किसी भी प्रकार की गलत सूचना के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि विद्यालय के नियमों/उप नियमों का सदैव पालन करूँगा/करूँगी।

आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक :

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(माता/पिता/संरक्षक)

“दुर्बलवर्ग” / “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों का आरटीई एक्ट की धारा 12(1)(ग)के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश हेतु

रिपोर्टिंग प्रपत्र (विद्यालय प्रति) (संदर्भित पैरा –5)

1. विद्यालय का नाम :
2. विद्यालय का पता (मय वार्ड नं. व ब्लॉक):.....
3. प्रवेशार्थी का नाम :..... पुत्र/पुत्री.....
4. प्रवेश हेतु कक्षा :..... 5. ऑनलाइन लॉटरी दिनांक:..... / / 6. वरीयता क्रमांक:
7. प्रवेशार्थी का आवेदन पत्र मय निम्नांकित दस्तावेजों के आज दिनांक:..... को विद्यालय को प्राप्त हो गया है। विद्यालय में बालक के प्रवेश सुनिश्चित होने पर विद्यालय द्वारा अभिभावक को सूचित कर दिया जाएगा तथा सूचना प्राप्ति के अगले तीन कार्य दिवसों में अभिभावक को बालक का प्रवेश विद्यालय में कराना होगा। प्राप्त दस्तावेजों की सूची (सही के आगे ✓ करें):–
 - बालक का आयु प्रमाण पत्र –बी.पी.एल. प्रमाण पत्र
 - अभिभावक का निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र –बालक के अनाथ होने संबंधी घोषणा
 - अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण पत्र –बालक का निःशक्तजन संबंधित प्रमाण पत्र
 - बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक के एचआईवी प्रभावित होने की रिपोर्ट
 - बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक के केंसर ग्रस्त होने की रिपोर्ट
 - बालक की माता के युद्ध विधवा होने का प्रमाण—पत्र
 - अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण—पत्र

हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान
अभिभावक

हस्ताक्षर
(संस्था प्रधान/अधिकृत शिक्षक मय सील)

“दुर्बलवर्ग” / “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों का आरटीई एक्ट की धारा 12(1)(ग)के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र (अभिभावक प्रति)

1. विद्यालय का नाम :
2. विद्यालय का पता (मय वार्ड नं. व ब्लॉक):.....
3. प्रवेशार्थी का नाम :..... पुत्र/पुत्री.....
4. प्रवेश हेतु कक्षा :..... 5. ऑनलाइन लॉटरी दिनांक:..... / / 6. वरीयता क्रमांक:
7. प्रवेशार्थी का आवेदन पत्र मय निम्नांकित दस्तावेजों के आज दिनांक:..... को विद्यालय को प्राप्त हो गया है। विद्यालय में बालक के प्रवेश सुनिश्चित होने पर विद्यालय द्वारा अभिभावक को सूचित कर दिया जाएगा तथा सूचना प्राप्ति के अगले तीन कार्य दिवसों में अभिभावक को बालक का प्रवेश विद्यालय में कराना होगा। प्राप्त दस्तावेजों की सूची (सही के आगे ✓ करें):–
 - बालक का आयु प्रमाण पत्र –बी.पी.एल. प्रमाण पत्र
 - अभिभावक का निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र –बालक के अनाथ होने संबंधी घोषणा
 - अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण पत्र –बालक का निःशक्तजन संबंधित प्रमाण पत्र
 - बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक के एचआईवी प्रभावित होने की रिपोर्ट
 - बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक के केंसर ग्रस्त होने की रिपोर्ट
 - बालक की माता के युद्ध विधवा होने का प्रमाण—पत्र
 - अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण—पत्र

हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान
अभिभावक

हस्ताक्षर
(संस्था प्रधान/अधिकृत शिक्षक मय सील)

परिशिष्ट – 4 (संदर्भित अध्याय— 2 का पैरा—8)

प्रवेश प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण

उदाहरण— 1 : एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं जिनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव से संबंधित हैं तथा शेष वार्ड अन्य छोटे गांवों और ढाणियों से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी :—

1. विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में प्रवेश की क्षमता— 40
2. अधिनियम 2009 के अनुसार : 25 प्रतिशत सीट्स की संख्या— 10
3. ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र— 50
4. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त आवेदन— 30
5. ग्राम पंचायत के अन्य गांव/ढाणी से प्राप्त आवेदन— 20

उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त सभी—50 आवेदन पत्र शामिल किये जाएंगे लेकिन विद्यालय जिस गांव में स्थित है, उस गाँव के 30 आवेदनों को सर्वप्रथम रैण्डम किया जाकर सूची तैयार की जाएगी तथा ग्राम पंचायत के अन्य गांव व ढाणी से प्राप्त शेष 20 आवेदनों को रैण्डम करने के बाद उस सूची में नीचे जोड़ा जाएगा। इस सूची में से ही वरीयता के आधार पर बालकों को प्रवेश दिया जाएगा, यदि कोई बालक प्रवेश नहीं लेता है तो वरीयता सूची में से अगले बालक को प्रवेश दिया जाएगा। नियमों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार विद्यालय से संबंधित गांव के बालकों को निःशुल्क प्रवेश में वरीयता दी जाती है।

यही उदाहरण शहरी क्षेत्र के विद्यालय पर भी समान रूप से लागू होगा, लेकिन शहरी क्षेत्र में प्राथमिकता उस वार्ड के बालकों को मिलेगी, जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है।

उदाहरण— 2 : एक निजी विद्यालय शहरी क्षेत्र के वार्ड संख्या 17 में स्थित है। इस शहरी निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम) में कुल 45 वार्ड हैं, ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :—

1. विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में सीट्स की संख्या— 60
2. अधिनियम 2009 के अनुसार : 25 प्रतिशत सीट्स की संख्या— 15
3. शहरी निकाय परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र— 80
4. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से विद्यालय से संबंधित वार्ड सं. 17 से प्राप्त आवेदन— 10
5. शहरी निकाय के अन्य समस्त 44 वार्डों से प्राप्त आवेदन— 70

उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में शहरी निकाय परिक्षेत्र से प्राप्त सभी—80 आवेदन पत्र शामिल किये जाएंगे, लेकिन विद्यालय जिस वार्ड में स्थित है, उस वार्ड संख्या—17 के 10 आवेदनों को सर्वप्रथम रैण्डम किया जाकर सूची तैयार की जाएगी तथा शहरी निकाय के शेष 44 वार्डों से प्राप्त 70 आवेदनों को रैण्डम करने के बाद उस सूची में नीचे जोड़ा जाएगा। इस सूची में से ही वरीयता के आधार पर बालकों को प्रवेश दिया जाएगा, यदि कोई बालक प्रवेश नहीं लेता है तो वरीयता सूची में से अगले बालक को प्रवेश दिया जाएगा। नियमों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार विद्यालय से संबंधित वार्ड के बालकों को निःशुल्क प्रवेश में वरीयता दी जाती है।

यही उदाहरण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय पर भी समान रूप से लागू होगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिकता उस गाँव के बालकों को मिलेगी, जिस गाँव में विद्यालय स्थित है।

नोट: विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु आरक्षित सीट्स पर प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक पात्र नहीं पाये जाने की स्थिति में भी विद्यालय के कैचमेन्ट एरिया से बाहर के बालकों को इन सीट्स पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परिशिष्ट – 5

सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रश्न – 1 यदि किसी कारणवश निःशुल्क प्रवेशित बालक शैक्षिक सत्र के बीच में विद्यालय छोड़ दे तो इसके पुनर्भरण का क्या होगा ?

उत्तर – गैर सरकारी विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेशित केवल उन्हीं छात्रों का पुनर्भरण होगा जो सत्र पर्यन्त अध्ययनरत रहा है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ने/टी.सी.लेकर अन्य विद्यालय में चले जाने/बिना टी.सी.लिये किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लेने/छात्र की मृत्यु हो जाने आदि कारणों से उस विद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहा हो, तो ऐसे छात्र की फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा यह सत्यापन दल सुनिश्चित करेगा। सत्यापन दल यह भी आकलन करेगा कि विद्यालय से ड्राप आउट बालकों की फीस के पुनर्भरण पेटे कितनी राशि विद्यालय को भुगतान की जा चुकी है। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक सत्रारम्भ से 31 अगस्त के मध्य कभी भी उपरोक्त वर्णित कारणों से ड्राप आउट हुआ है तो विद्यालय को उस बालक के सम्बन्ध में प्रथम किश्त का तो पुनर्भरण होगा परन्तु द्वितीय किश्त का पुनर्भरण नहीं होगा।

प्रश्न – 2 न्यून आय के आधार पर प्रवेशित बालक-बालिकाओं के निःशुल्क प्रवेश के पुनर्भरण हेतु क्या सावधानी बरतनी आवश्यक है ?

उत्तर – सत्यापन दलों द्वारा निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं न्यून आय के आधार पर प्रवेशित बालकों के अभिभावकों द्वारा प्रत्येक सत्र के लिए प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र देखकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बालक चालू सत्र में न्यून आय वर्ग में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु पात्र है। यदि अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो गई है तो बालक विद्यालय में तो अध्ययनरत रहेगा लेकिन उसकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। ऐसे छात्रों के नाम सत्यापन दल अपने प्रतिवेदन में पुनर्भरण हेतु सूची में सम्मिलित नहीं करेंगे। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2017–18 से आय के आधार पर निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश केवल उन्हीं बालक/बालिकाओं का होगा जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये तक है। अतः इन बालक-बालिकाओं के लिए प्रतिवर्ष 1.00 लाख रुपये तक की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र लिया जायेगा।

प्रश्न – 3 निजी स्कूलों के भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु राज्य सरकार से क्या निर्देश है ?

उत्तर – बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्कूल भवन होना आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि जो निजी शैक्षिक भवन 50 वर्ष तक पुराने हैं, उनके संबंध में प्रत्येक 3 साल में एक बार P.W.D. अथवा अन्य राजकीय उपकरण/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियन्ता से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लिया जावे।

प्रश्न – 4 यदि किसी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ 3 वर्ष की हैं, तो उसे वेब पोर्टल पर एन्ट्री लेवल कक्षा कौनसी भरनी है ?

उत्तर – जिस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से पूर्व) 3 वर्ष की है, उन्हें वेब पोर्टल पर एण्ट्री कक्षा PP.3+ भरनी है, जिस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ दो वर्ष की हैं, उन्हें वेब पोर्टल पर एण्ट्री कक्षा PP.4+ भरनी है तथा जिस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक वर्ष की हैं, उन्हें एण्ट्री कक्षा PP.5+ भरनी है।

प्रश्न – 5 यदि कोई विद्यालय पूर्णतः बाहरी अनुदान से संचालित होता है तथा किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। क्या उस विद्यालय को आरटीई के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीट्स पर निःशुल्क प्रवेश देने हैं?

उत्तर – ऐसे विद्यालयों को भी 25 प्रतिशत सीट्स पर “दुर्बलवर्ग” व “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बालकों को निःशुल्क प्रवेश देने हैं, लेकिन इन विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण देय नहीं होगा।

प्रश्न – 6 यह कैसे स्पष्ट हो कि कोई विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय की श्रेणी में आता है तथा वह आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश के दायरे से बाहर है ?

उत्तर – राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29/30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएँ घोषित की जाती हैं। अतः इन विभागों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही विद्यालय को अल्पसंख्यक की श्रेणी में माना जायेगा।